

केंद्रीय और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशकों की राष्ट्रीय बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हुई

नए आपराधिक कानूनों के तहत फोरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

फोरेंसिक विज्ञान में बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के लिए 2,250 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा, ताकि भारत फोरेंसिक विज्ञान में आत्मनिर्भर बन सके: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार

चंडीगढ़, 24 मई, 2025

केंद्रीय और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशकों की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक आज 24 मई, 2025 को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) चंडीगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में फोरेंसिक सेवाओं को भारत के नव अधिनियमित आपराधिक कानूनों के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि एक ऐसी न्याय प्रणाली का निर्माण किया जा सके जो तेज, पारदर्शी और वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित हो।

"नए आपराधिक कानूनों के अनुसार फोरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करना" विषय के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में सीएफएसएल और राज्य एफएसएल निदेशक, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा कानून प्रवर्तन और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ एक साथ आए।

इस कार्यक्रम में देश भर से सीएफएसएल और राज्य एफएसएल के निदेशकों के साथ-साथ गृह मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए फॉरेंसिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना था।

“भारत न्याय के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां वैज्ञानिक साक्ष्य और फॉरेंसिक विशेषज्ञता जांच में पारदर्शिता, गति और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं”

दो दिवसीय बैठक के समापन सत्र में केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशकों और अन्य हितधारकों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार, जो समापन सत्र के मुख्य अतिथि थे, ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत के साथ, भारत न्याय के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है जहां वैज्ञानिक साक्ष्य और फॉरेंसिक विशेषज्ञता जांच में पारदर्शिता, गति और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार हर जिले में आधुनिक फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। “हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एनएएफआईएस) के तहत, फॉरेंसिक सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन, कर्मियों को प्रशिक्षित करने, अनुसंधान को बढ़ाने और भारत को फॉरेंसिक विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए 2,254.40 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया जाएगा। हमारा उद्देश्य सात साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच सुनिश्चित करना और आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रौद्योगिकी-संचालित साक्ष्य संग्रह और विश्लेषण के साथ जोड़ना है।

मंत्री ने कहा कि इस परिवर्तन के चार स्तंभ होंगे - बुनियादी ढांचे का विकास, कुशल मानव संसाधन, तकनीकी उन्नयन (एआई, मशीन लर्निंग, राष्ट्रीय डेटा नेटवर्क) और एसओपी के माध्यम से मानकीकरण तथा आईसीजीएस और सीसीटीएनएस जैसी प्रणालियों के साथ एकीकरण।

“फॉरेंसिक विज्ञान अब न्याय प्रणाली का केंद्र है”

अपने उद्घाटन भाषण में, निदेशक और मुख्य फॉरेंसिक वैज्ञानिक डॉ. एस.के. जैन ने कहा, फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ने नए आपराधिक कोड के संदर्भ में फॉरेंसिक विज्ञान की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया: "फॉरेंसिक विज्ञान अब केवल एक सहायक उपकरण नहीं है - यह अब अपराध जांच और न्याय वितरण के केंद्र में है। नया कानूनी ढांचा विश्वसनीय, त्वरित और वैज्ञानिक न्याय सुनिश्चित करने में हमारी सक्रिय भूमिका को अनिवार्य बनाता है।"

डॉ. जैन ने सुधारित न्याय प्रणाली की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक अंतर-एजेंसी समन्वय, प्रशिक्षण में निवेश और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आह्वान किया।

“चंडीगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तैयारी का परिचय दिया”

चंडीगढ़ की एसएसपी सुश्री कंवरदीप कौर ने तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में शहर के सक्रिय प्रयासों पर प्रकाश डाला और कहा कि चंडीगढ़ ने राष्ट्रीय समय सीमा से पहले ही सभी पांचों कार्यक्षेत्रों-पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका, जेल और फॉरेंसिक- में 100% प्रशिक्षण सुनिश्चित करके नए

आपराधिक कानूनों को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई। "हमने सभी आवश्यक एसओपी और सरकारी आदेश समय पर जारी किए और पूर्ण सिस्टम एकीकरण हासिल किया, जिससे हम नए कोड को सुचारू रूप से और कुशलता से लागू करने में सक्षम हुए।"

उन्होंने कहा कि न्याय सेतु और न्याय श्रुति के माध्यम से चंडीगढ़ के मजबूत डिजिटल एकीकरण ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामलों में 95% सजा दर में मदद की है।

"फॉरेंसिक विज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब यह सरल और व्यावहारिक हो" सीएफएसएल चंडीगढ़ की निदेशक डॉ. सुखमिंदर कौर ने सहयोग और नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान आधुनिक आपराधिक जांच की रीढ़ है। उन्होंने वैज्ञानिक स्पष्टता के महत्व पर जोर दिया। "फॉरेंसिक विज्ञान की चमक इसकी सरलता, गति और व्यावहारिक अनुप्रयोग में निहित है। सहयोग और नवाचार को साक्ष्य और अखंडता के आधार पर न्याय प्रणाली बनाने में हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए।"

चंडीगढ़ नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। 3 दिसंबर, 2024 को भारत के प्रधान मंत्री ने चंडीगढ़ से तीन नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। शहर ने बीएनएस-पंजीकृत मामलों में 95% सजा दर हासिल की है, जो कि मजबूत फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे और न्याय सेतु और न्याय श्रुति जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल एकीकरण द्वारा समर्थित है, जिसे एनआईसी, एनसीआरबी और बीपीआरएंडडी के सहयोग से विकसित किया गया है।

चर्चाएँ और परिणाम

बैठक के दौरान, राज्य एफएसएल के निदेशकों ने निम्नलिखित प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर गहन चर्चा की:

- फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण
- मानव संसाधन और क्षमता निर्माण
- गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन और एसओपी अनुपालन
- आईसीजीएस का एकीकरण
- केंद्रीय योजनाओं का उपयोग
- अपराध स्थल प्रबंधन प्रोटोकॉल
- फॉरेंसिक रिपोर्ट का समय पर वितरण

बैठक का समापन इस सर्वसम्मत प्रतिज्ञा के साथ हुआ कि फॉरेंसिक विज्ञान को भारत की सुधारित आपराधिक न्याय प्रणाली का आधार बनाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय शीघ्रता से, निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से प्रदान किया जाए।

यह भी पढ़ें:

- केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशकों की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी
- केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशकों की चंडीगढ़ में बैठक, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा
